।।कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 5725 /12-1, दिनांक, गोपेश्वर, 20/06/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग।

विषयः– **Date and stage of application of the revised rates of Net present Value (NPV)-reg.**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पौड़ी की पत्र संख्या–2183/12–1 दिनांक **25–04–2022.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय नई दिल्ली की पत्र सं0–5–3/2011–एफ0सी0(voi-i) दिनांक 19–01–2022 द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06–01–2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 06–01–2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। ऐसे प्रकरणों में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। आपके वन प्रभाग से सम्बन्धित प्रकरण जिनमें एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

प्रस्ताव का नाम	पूर्व में एन0पी0वी0 की जमा धनराशि (रू0 में)	एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी दिनांक 06–01–2022 के अनुसार एन0पी0वी0 की दर (रू0 प्रति है0 में)	हस्तान्तरित वन भूमि (है0 में)	06–01–2022 की दरों के अनुसार जमा की जानी वाली धनराशि (रू0 में) कॉलम सं0 (2x3) के अनुसार	अवशेष जमा की जानी वाली धनराशि (रू0 में) कॉलम सं0 (4–1) के अनुसार
1	2	3	4	5	6
तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से चटिग्याला–कोटी–नौली–हिण्डोली होते हुए सोनला–कण्डारा–मोटर मार्ग के किमी0 16.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।	858699.00	1005210.00	1.307	1313809.47	**455110.47**
मोख–बासवाडा–बार्रो मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु सिविल वन पंचायती भूमि का प्रस्ताव।	1161615.00	1005210.00	1.295	1301746.95	**140131.95**

अतः विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त टेबिल के कॉलम सं0 06 में अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित की जा सके।

o/c

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

पृष्ठ 1.24

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 10-10-2017

Agency Name	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	113101772015691
Location	UTTARANCHAL
Address	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.- Cham Chamoli
Amount(in Rs)	1520908/-

Amount in Words: Fifteen Lakh Twenty Thousand Nine Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code	CORP0000633
Pay to Account No	15089113101772015691
Bank Name & Address	Corporation Bank FCS Bangalore * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

प्रतिपर्ण/Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा /Branch ______ दिनांक/Date 30/X/2017

02 NOV 2017

Received From Ex. Engineer P.W.D. Rudraprayag से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on ______

बैंक/Bank Corporation Bank

शाखा/Branch FCS Banglore

के पक्ष में/Favouring O Hradd Bangalore

IFSC Code CORP0000633

A/c No. 15089113101772015691

राशि (रुपये)/ Amount ₹ 15,20,908

Banks charges : ₹

कुल योग/ Total : ₹ 15,20,908

रुपये (शब्दों में)/ Rupees (in words) Fifteen lac twenty thousand nine hundred & eight only.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

02 NOV 2017

Re. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो०नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner

1 2, 4

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo badrinath uta[illegible] Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1190 / 12-1 , गोपेश्वर, दिनांक 16/09 2017।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग,

विषय:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग मे शहीद भगत सिंह मार्ग (सेकण्ड कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी0 3.00 से घटियाला-कोटी-नौली-हिन्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 16.00 किमी0 तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.307 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 1656/FP/UK/Road/10177/2015 दिनांक 22.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यालय को सम्बोधित है के क्रम मे अवगत कराना है कि भारत सरकार की पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463, दिनांक 16.12.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप शर्तो की अनुपालन आख्या/डिमाण्ड मात्र पत्र इस कार्यालय की पत्र सं0 3545/12-1 दिनांक 12.01.2017 से प्रेषित की गई, परन्तु धनराशि जमा न होने के कारण नये वित्तीय वर्ष में अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने पर पुन डिमाण्ड मात्र प्रेषित किया जा रहा है-

1 शर्त सं0-01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.614 है0 ग्राम सुनाली सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 6,62,209.00(रू0 छः लाख बासठ हजार दो सौ नौ) मात्र जमा की जानी है एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।

2 शर्त सं0-02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 8,58,699.00(रू आठ लाख अट्ठावन हजार छः सौ निन्यानबे) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 x 4)
1	2	3	4	5
V	0.2 (Open forest)	6,57,000.00	1.307	8,58,699.00

3 शर्त सं0-03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

4 शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5 शर्त सं0-06 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहा-जहा सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6- State Govt. may provide original copy of revised village Level Committee proceeding under FRA and digital map of the forest land proposal for diversion and the land identify for CA which have been uploaded in online with protal.

अतः आप भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

अ0अ0
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner